

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक Paramatma Tiwary (Regd. No-1200324), S/O-Ram Naresh Tiwary, At-Urda, PO+PS-Chenari, Dist-Rostas, Pin-821104 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 के अधीन एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा (टेन्डर आई0डी0-140488) में भाग लिया गया।

उक्त निविदा में संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0-02, गढ़वा, का पत्रांक 935 दिनांक 08.04.2021 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।

संदर्भित कार्यानुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित कार्यालय से कराने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0-02, गढ़वा, का पत्रांक 914 दिनांक 24.06.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त पत्रांक एवं दिनांक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

तदालोक में तकनीकी वीड समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 3593 दिनांक 14.07.2025 द्वारा संवेदक को उक्त निविदा में अयोग्य घोषित करते हुए गै0स0प्रे0सं0-117 अनु0 दिनांक 01.08.2025 द्वारा संवेदक Paramatma Tiwary के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में आलोक में कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

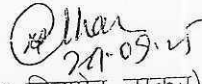
तदालोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 8936 दिनांक 19.08.2025 एवं पत्रांक 9528 दिनांक 03.09.2025 द्वारा निबंधित डाक एवं ईमेल के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक की पत्नी द्वारा दिनांक 12.09.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु समय की मांग की गई।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक से दिनांक 19.08.2025 एवं दिनांक 03.09.2025 को निबंधित डाक एवं ईमेल के माध्यम से कारणपृच्छा किये जाने के उपरांत दिनांक 12.09.2025 को (अत्यधिक विलंब से) उनकी पत्नी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए आरोप के बिंदु पर जवाब देने के बजाय समय की मांग करना बताता है कि संवेदक द्वारा टाल-मटोल करके विभाग को भ्रमित किया जा रहा है।

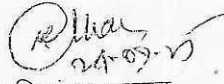
ज्ञातव्य है कि संवेदक द्वारा पूर्व में फर्जी कागजात के आधार पर निविदा में भाग लिये जाने के कारण विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 5981 दिनांक 10.06.2025 द्वारा संवेदक को 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया। तदोपरांत संवेदक द्वारा उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 6380 दिनांक 20.06.2025 द्वारा चैतावनी देते हुए कि भविष्य में इस तरह की घटना संज्ञान में आने पर पुनः कालीसूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक Paramatma Tiwary(Regd. No-1200324, PAN-AITPT5858N) को चेतावनी दिये जाने के बावजूद कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 के अधीन निविदा (टेन्डर आई0डी0-140488) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

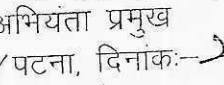
ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-237/2025 10381

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-237/2025 10381

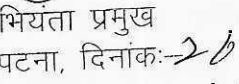
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-237/2025 10381

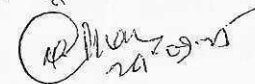
प्रतिलिपि:- Paramatma Tiwary(Regd. No-1200324), S/O-Ram Naresh Tiwary, At-Urda, PO+PS-Chenari, Dist-Rostas, Pin-821104 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-237/2025 10381

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

३५